मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं अन्य सम्बन्धित के साथ लखनऊ एयरपोर्ट एवं राज्य के अन्य एयरपोर्टस के भूमि सम्बन्धी मामलों से सम्बन्धित बैठक दिनांक 02 नवम्बर, 2017 का कार्यवृत्त:-

<u>उपस्थिति-</u>

1. डॉ0 गुरू प्रसाद महापात्रा, अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली।
2. श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, सचिव मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. श्री सूर्य पाल गंगवार, विशेष सचिव/निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, लखनऊ।
2. श्री सुधीर रहेजा सदस्य (प्लानिंग), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. श्री अनिल पाठक, कार्यकारी निदेशक।
4. श्री राकेश कालरा, रीजनल एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नार्दर्न रीजन, दिल्ली।
5. श्री उदय प्रताप सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट, बरेली।
6. डॉ0 नागेन्द्र नाथ यादव, एस0डी0एम0, पिण्डरा, वाराणसी।
7. श्री एन0 के0 जानू, प्रभारी वनाधिकारी, गोरखपुर।
8. श्री जे0आर0 चौधरी, विशेष भूमि अध्यासि अधिकारी, इलाहाबाद।
9. श्री समीर वर्मा, ए0डी0एम0 (भूमि अध्यासि), कानपुर।
10. श्री नगेन्द्र शर्मा, ए0डी0एम0(एल.ए.), आगरा।
11. श्री एस0पी0 राय, ए0डी0एम0(एल.ए.), लखनऊ।
12. श्री ए0के0 शर्मा, ए0पी0डी0, लखनऊ।
13. श्री एस0 जुगानी, जी0एम0 (इंजीनियरिंग), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण।
14. श्री आर. विक्रम सिंह, डी0एम0, बरेली।
15. श्री एस.एन. उपाध्याय, ए0डी0एम0(इ0)।

अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बैठक में चर्चा प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम लखनऊ एयरपोर्ट हेतु भूमि अधिग्रहण का विशेषत: उल्लेख किया गया है:-

(A) लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के सम्बन्ध में:

1- एयरपोर्ट पर Wide Body Aircraft e.g. B-777/787 type aircraft के लिए 583m रनवे विस्तारीकरण, बेसिक स्ट्रिप तथा समानान्तर टैक्सी ट्रैक हेतु प्रस्तावित69.59 एकड़ भूमि के क्रय का प्रस्ताव भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा दिया गया था, जिस पर राज्य सरकार के द्वारा अपेक्षा की गई थी कि इस भूमि के क्रय के लिए लगभग रूपये 500 करोड़ की आवश्यकता है, जिसमें 50% धनराशि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा वहन की जाएगी और 50% राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार द्वारा यह विकल्प दिया गया था कि यदि 50% धनराशि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा उपलब्ध कराए जाने में कठिनाई हो, तो लखनऊ एयरपोर्ट की कानपुर हाईवे के समीप भूमि को monetize किया जा सकता है।

2/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

यदि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को इस भूमि को monetize करने में विलम्ब हो रहा है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार वैल्यू फॉर वैल्यू एक्सचेंज के आधार पर उतनी भूमि लेकर अपनी एजेंसीज (LDA आदि) के माध्यम से monetize कर सकती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) सैद्धांतिक रूप से इस प्रस्ताव से सहमत है किन्तु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा जिस भूमि को राज्य सरकार को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव दिया गया है, वह राज्य सरकार के लिए अनुपयोगी है। अतः उसको monetize करना सम्भव नहीं है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा प्रस्ताव किया गया कि वह कानपुर हाईवे के समीप अपनी लगभग 69 एकड़ भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में हस्तान्तरण का प्रस्ताव 15 दिन में राज्य सरकार को उपलब्ध कराएंगे ।

यह निर्णय लिया गया कि कुल वांछित धनराशि की बजट व्यवस्था नागरिक उड्डयन विभाग बजट/अनुपूरक बजट के माध्यम से करा ले।

2- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा यह बताया गया कि रन-वे विस्तारीकरण के लिए जो भूमि चिन्हित की गई है उसमें 8 structures approach funnel में आ रहे हैं जिन्हें हटाए जाने की आवश्यकता होगी। यह निर्णय लिया गया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) तथा अपर जिलाधिकारी, लखनऊ मौके पर संयुक्त निरीक्षण कर लें तथा उस परिक्षेत्र में स्थित structures को हटाए जाने के सम्बन्ध में अपनी आख्या 15 दिन में प्रस्तुत करें।

3- जल निकासी के सम्बन्ध में लखनऊ नगर निगम द्वारा किला मोहम्मदी ड्रेन के पुनर्निर्माण के लिए प्रमुख सचिव, आवास और शहरी नियोजन विभाग को रूपए 52 करोड़ का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है जिसे स्वीकृत कराने हेतु कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। यह निर्णय लिया गया कि प्रमुख सचिव, नगर विकास एवं शहरी नियोजन विभाग के माध्यम से ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के लिए कार्यवाही की जाए।

4- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की भूमि के Mutation तथा Land Use change /Land Zone (Harit Patti to Transport Zone) के सम्बन्ध मेंभारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को सुझाव दिया गया कि वह किसी उपयुक्त अधिवक्ता के माध्यम से सम्बन्धित राजस्व न्यायालयों में अपनी प्रभावी पैरवी करें। यदि किसी प्रकार के प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता हो तो निदेशक, नागरिक उड्डयन से सम्पर्क करें।

5- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की भूमि पर अवैध अवस्थित लोगों को विस्थापित करने के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि 3 गांव के लगभग 175 परिवारों को विस्थापित करने के लिए लगभग रूपए 32 करोड़ की आवश्यकता होगी, ताकि इनके लिए नए मकान बनाकर इन्हे विस्थापित किया जा सके। यह निर्णय लिया

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गया कि जिलाधिकारी, लखनऊ के द्वारा वर्तमान में संचालित आवासीय योजनाओं के माध्यम से उक्त 175 परिवारों को विस्थापित किए जाने का प्रयास किया जाए। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखनऊ अपनी आख्या 15 दिन में प्रस्तुत करेंगे। एयरपोर्ट की भूमि पर अवैध रूप से कृषि कर रहे ग्रामीणों को हटाये जाने की कार्यवाही निदेशक विमानपत्तन, लखनऊ द्वारा की जाएगी यदि किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो तो इसके लिए जिला प्रशासन का सहयोग लिया जाए।

(B) वाराणसी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण:

6- वाराणसी एयरपोर्ट को Code-E (Suitable for Wide Body Aircraft e.g. B-777/787 etc.) aircraft operations के लिए 347m रनवे विस्तारतथा ILS CAT-III के निमित्त भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अन्तिम रूप से 260.40 एकड़ भूमि की आवश्यकता बताई गई है। उनसे अपेक्षा की गई कि AAI द्वारा प्रथमत: OLS सर्वे करा लिया जाए कि विस्तारीकरण हेतु Approach Funnel में बिल्डिंग तो नही आ रही है। तदनुसार सर्वे कराकर सूचित किया जाए।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव किया गया की उपरोक्त आवश्यक भूमि के लिए धनराशि की व्यवस्था 50% भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) तथा 50% राज्य सरकार द्वारा करने पर विचार किया जा सकता है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा यह अवगत कराया गया कि एयरपोर्ट के निकट उनकी 140 एकड़ भूमि उपलब्ध है और वे इसे exchange कर सकते है। यह निर्णय लिया गया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणद्वारा उपलब्ध भूमि का सर्वे राजस्व विभाग से कराकर खसरावार विवरण के साथ land exchange का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।

7- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा यह अवगत कराया गया कि रनवे विस्तारीकरण में आच्छादित राष्ट्रीय राजमार्ग से अण्डरपास बनाए जाने की अनुमति सुरक्षा कारणों से नहीं प्राप्त हुई है और विस्तारीकरण के लिए एन.एच. को डायवर्ट करना होगा। इस प्रकार अण्डरपास बनाने के विकल्प को समाप्त करते हुए NH-56 को डाइवर्ट करने का अन्तिम निर्णय लिया जा चुका है।

जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि एन.एच.-56 का कार्य बहुत तीव्र गति से किया जा रहा है और एन.एच. के डायवर्जन के लिए इसे रोकना होगा ताकि व्यर्थ धनराशि का व्यय न हो। यह निर्णय लिया गयाकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इस सम्बन्ध में

4/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एक पत्र भेजा जाए ताकि NH-56 द्वारा आगे का कार्य NH-56 को डाइवर्ट करने के निर्णय के अनुसार किया जाए।

(C) आगरा सिविल एन्क्लेव का निर्माणः

8- जिलाधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा सिविल एंक्लेव के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु जो धनराशि उपलब्ध कराई गई थी वह पर्याप्त नहीं हैं, इसके लिए लगभग 45 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। इसका आंकलन कराया जा रहा है और शीघ्र ही सम्यक प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाएगा। निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव प्राप्त ने के उपरान्त उसका परीक्षण कर आवश्यक धनराशि की व्यवस्था अनुपूरक बजट के माध्यम से करा ली जाए।

जिलाधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 80% भूमि हस्तान्तरण के लिए उपलब्ध है, किन्तु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर भूमि का कब्जा प्राप्त कर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करने की कार्यवाही करें ताकि भूमि पर अनाधिकृत कब्जा न हो और अन्य कार्यों हेतु टेंडर आदि की प्रक्रिया सम्पन्न करें।

(D) इलाहाबाद में सिविल एन्क्लेव का निर्माणः

9- इलाहाबाद में सिविल एन्क्लेव के निर्माण के सम्बन्ध में जिला प्रशासन की ओर से यह अवगत कराया गया कि प्रस्तावित 30.39 है0 भूमि में से अब तक उपलब्ध कराई गई 16 है0 भूमि पर मुख्य भवन का निर्माण कराया जा सकता है क्योकि यही भूमि भारतीय विमान प्रधिकरण द्वारा प्रस्तावित है। यह निर्णय लिया गया कि निर्माण कार्य का शिलान्यास दिसम्बर, 2017 के 2nd week में निर्धारित करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाए। रीजनल एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नार्दर्न रीजन, दिल्ली द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य भवन निर्माण का टेन्डर प्रक्रियाधीन है।

10- मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार ILS Cat-1 की स्थापना भी की जानी है। इस सम्बन्ध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा चिहिन्त की गई 21 है0 भूमि bare minimum है और इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है । 21 है0 भूमि के लिए

5/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

216 करोड़ रूपए का भुगतान करना होगा। यह भी अपेक्षा की गई कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कम से कम भूमि की आवश्यकता का प्रमाण पत्र दे दे। निर्णय लिया गया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा चिन्हित 21 है0 भूमि का गाटावार विवरण/प्रस्ताव जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जाए और जिला प्रशासन द्वारा भूमि क्रयकी लागत व विवरण को तैयार करके प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को उपलब्ध कराया जाए। यह निर्णय भी लिया गया कि इस हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था अनुपूरक बजट के माध्यम से नागरिक उडडयन विभाग द्वारा करा ली जाए।

(G) गोरखपुर एयरपोर्टः

11- गत बैठक में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित किया गया था कि गोरखपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए गोरखपुर एयरपोर्ट के समीप हुई लगभग 60 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि जिलाधिकारी, गोरखपुर इस भूमि को एक माह में चिन्हित कर अपनी आख्या उपलब्ध कराएंगे। जिलाधिकारी गोरखपुर के प्रतिनिधि द्वारा यह बताया गया कि प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। यह निर्णय लिया गया कि रूपए 150 करोड़ की व्यवस्था बजट /अनुपूरक बजट में करा ली जाए।

12- गोरखपुर एयरपोर्ट पर Visibility कम होने पर उड़ानों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में चर्चा की गई जिसके सम्बन्ध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि वहॉ पर ILS Cat-2 भारतीय वायुसेना द्वारा लगाया गया है जिसे क्रियाशील किया जाना शेष है इस हेतु आवश्यक भूमि पर 939 वृक्ष है जिनके पातन की अनुमति भारतीय वायुसेना को मिल गई है और वायुसेना द्वारा रूपए 2.50 करोड़ में से 1.50 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। शेष धनराशि का भुगतान किया जाना है। यह निर्णय लिया गया कि इस निमित्त रक्षा सचिव को एक पत्र भेज दिया जाए ताकि कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराई जा सके।

(H) बरेली में सिविल एन्क्लेव का निर्माण:

13- राज्य सरकार की ओर से अवगत कराया गया कि सिविल इन्क्लेव को एयरपोर्ट के रनवे से जोडने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जिस स्थान पर Taxi track बनाये जाने

6/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

का प्रस्ताव किया गया था उस स्थान पर Taxi track बनाये जाने हेतु भारतीय वायुसेना द्वारा आपत्ति की गई है। इस सम्बन्ध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से अवगत कराया गया कि उनके द्वारा भारतीय वायुसेना से साथ इस प्रकरण को Take up किया गया है और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कराते हुए राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा एवं यथावश्यक प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाएगा।

(I) रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम:

14- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से अवगत कराया गया कि आर0सी0एस0के अन्तर्गत Second Round की बिडिंग में चयनित होने वाले एयरपोर्टस पर विकास कार्य कराया जाना है। अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि आर0सी0एस0 के अन्तर्गत चयनित unserved airports को विकसित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नोडल एजेन्सी नामित है तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक एयरपोर्ट्स को विकसित करने हेतु रूपये 100 करोड़ तक की धनराशि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को दी जाएगी। राज्य सरकार की ऐसी हवाई पट्टियाँ जो आर0सी0एस0 बिडिंग में बिड/चयनित हो जाती हैं, उन पर राज्य सरकार द्वारा, निर्धारित मानकों व पत्र" Empanelment of Agencies for construction of Pre-Engineered/Pre-Fabricated Building at airports" विषयक पत्र दिनांक 10-04-2017 में विहित व्यवस्था के अनुसार empaneled agencies के माध्यम से No-Frills Airports का विकास कराया जा सकता है। इस empanelment की वैधता की अवधि अगले 6 माह के लिए बढ़ाई जा रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा रूपये 100 करोड़ प्रति एयरपोर्ट की सीमा राज्य सरकार के व्यय की प्रतिपूर्ति तक की जाएगी। अध्यक्ष AAI द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार की हवाई पट्टियों पर बनाए गए No-Frills Airports का संचालन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन।
नागरिक उड्डयन विभाग
संख्या: 91/2017/2050/छप्पन-2017-08/13
लखनऊ : दिनांक : 27 नवम्बर, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. बैठक मे उपस्थित समस्त अधिकारीगण।
3. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
4. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
6. निजी सचिव, विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन को विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।